



दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
27-07-2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (1) सतारी देवगम, पिता- स्व० सुरा देवगम, (2) सुरजमनी देवगम, पति-स्व० जोगना देवगम, ग्राम-लुपुंगुट्ट, टोला-पाताहातु, थाना-मुफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- नरसन्डा, थाना नं०-649, खाता नं०-656, प्लॉट नं०- 3921 एवं 3924, क्रमश रकवा- 0.04½ एवं 0.00½ एकड़ कुल रकवा-0.05 एकड़ भूमि क्रेता सलीमा हेम्ब्रम, पिता- लाल प्रसाद हेम्ब्रम, ग्राम-आयता, थाना- मुफसिल, जिला प० सिंहभूम के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि क्रमांक 01 के आवेदक स्वयं के नाम से हालसर्वे खातियान में दर्ज है एवं क्रमांक 02 के आवेदिका की पति के मृत्यु के पश्चात् आपसी बटवारा में प्राप्त भूमि है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक देखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-539, दिनांक 22.07.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान निर्माण एवं अन्य घरेलू खर्च हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता सलीमा हेम्ब्रम, पिता- लाल प्रसाद हेम्ब्रम, ग्राम-आयता, थाना-मुफसिल, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति पर्याप्त है।</p> <p>अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में (1) सतारी देवगम, पिता- स्व० सुरा देवगम, (2) सुरजमनी देवगम, पति-स्व० जोगना देवगम, ग्राम- लुपुंगुट्ट, टोला- पाताहातु, थाना-मुफसिल, जिला प० सिंहभूम ने क्रेता सलीमा हेम्ब्रम, पिता- लाल प्रसाद हेम्ब्रम, ग्राम-आयता, थाना- मुफसिल, जिला प० सिंहभूम के पास 90,000.00 (नब्बे हजार) रूपया मौजा- नरसन्डा, थाना नं०-649, खाता नं०-656, प्लॉट नं०- 3921 एवं 3924, क्रमश रकवा-0.04½ एवं 0.00½ एकड़ कुल रकवा-0.05 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की <u>आज्ञा</u> दी जाती है।</p> <p>लेखापित  भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा</p>	